न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 22/2021
जी.सी.एम.एस. : 2021/101

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट :–**
सुनीता पत्नी रामगोपाल, जाति ब्राहम्ण, निवासी सोजत सिटी, तहसील सोजत, जिला पाली		तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत, तहसील सोजत जिला पाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महेन्द्र चौधरी
रेस्पोडेण्ट की ओर से सरकारी पैरोकार

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27.01.22

अपीलाण्ट की ओर से यह अपील उनके अधिवक्ता ने अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सोजत द्वारा स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या 3451 दिनांक 23.05.2017 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने वक्त बहस एवं अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया कि सरहद मौजा सोजत चक द्वितीय के खसरा नम्बर 605 रकबा 1.6800 हैक्टर कृषि भूमि अपीलांट के ससुर भगाराम पुत्र श्री जसाराम कौम श्रीगौड़ ब्राहमण निवासी चौंगानिया का बास, सोजतसिटी की कब्जाकाश्त थी। अपीलांट के ससुर भगाराम पुत्र जसाराम का निधन दिनांक 10.06.2007 को होने के पश्चात् उनके विधिक वारिसान ने उक्त कृषि भूमि का हकतर्क नामा दिनांक 17.04.2017 को अपीलांट के पक्ष में तहरीर एवं तकमील कर पंजीयन करवा दिया था जिसके आधार पर उक्त कृषि भूमि का नामान्तरकरण संख्या 3451 दिनांक 23.05.2017 दर्ज किया गया। नामान्तरकरण दर्ज करने के दौरान पटवारी हल्का द्वारा सहवन से सुनीता पत्नी स्व. श्री रामगोपाल के स्थान पर सुनीता s/o रामगोपाल के नाम से दर्ज कर दिया गया। उक्त म्यूटेशन के पश्च भाग पर लिखित वंशावाली में अपीलांट को रामगोपाल की पत्नी के रूप में दर्ज किया गया है। दिनांक 06.10.2020 को पटवारी हल्का से प्राप्त उक्त कृषि भूमि की जमाबंदी की प्रतिलिपि में भी अपीलांट का नाम सुनीता D/O रामगोपाल दर्ज है। तहसील कार्यालय सोजत से दिनांक 01.12.2020 से म्यूटेशन संख्या 3451 की प्रमाणित प्रति प्राप्त की गई जिससे अपीलांट के संज्ञान में आया कि उक्त नामांतरकरण के कॉलम 9 में अपीलांट का नाम सुनीता s/o रामगोपाल के नाम से दर्ज कर दिया गया है। अपीलाण्ट ने इस त्रुटि की शुद्वि हेतु एक प्रार्थना पत्र तहसीलदार सोजत के समक्ष प्रस्तुत पेश किया, जिसके संबध में तहसीलदार सोजत ने सक्षम न्यायालय में अपील कर रेकर्ड दुरूस्त करने की हिदायत दी गई। तब अपीलाण्ट द्वारा बिना किसी प्रकार देरी किए अपील श्रीमान के न्यायालय में पेश की। विधि विरूद्ध एवं Ab initio void नामान्तरकरण को निरस्त करने के लिये म्याद का बिन्दु आड़े नहीं आता है। अतः अपील अपीलाण्ट जानकारी से अन्दर म्याद शुमार फरवाया जावें, एवं सोजत चक द्वितीय के खसरा नम्बर 605 का दर्ज नामान्तरकरण संख्या 3451 दिनांक 23.05.2017 में सुनिता s/o रामगोपाल के स्थान पर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में सुनिता पत्नी रामगोपाल के नाम दर्ज कराने का आदेश फरमावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम सोजत चक द्वितीय के खसरा सख्या 605 के नामान्तरकरण संख्या 3451 दिनांक 23.05.2017 को भरा गया था। जिसे काफी

अति. जिला कलेक्टर, पाली

समय हो गया है, अपील मियाद के प्रावधानों से बाधित होने से खारिज योग्य है अतः अपील खारिज फरमावें।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। पत्रावली व मूल नामान्तरकरण का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर अपील नामान्तरकरण वर्ष 2017 में दर्ज किया गया है, लेकिन इससे अपीलाण्ट के हक अधिकार प्रभावित होते है तथा जहां किसी व्यक्ति के हक अधिकारों का प्रश्न हो, वहां पर म्याद का बिन्दु गौण हो जाने से अपील अपीलाण्ट अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अपीलाण्ट के अलावा अन्य विधिक वारिसान के नाम नामान्तरकरण भरते समय नामजद किये गये, जिसकी ताईद मूल नामान्तरकरण से होती है। हल्का पटवारी द्वारा किसी भी व्यक्ति का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किए जाने से पूर्व उसके समस्त विधिक वारिसान की जांच करनी चाहिए, उनको सुनवाई एवं साक्ष्य–सबूत पेश करने का अवसर दिया जाना चाहिए, उसके पश्चात ही किसी व्यक्ति का फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज किए जाने के विधि में आज्ञापक प्रावधान है, लेकिन हल्का पटवारी द्वारा ऐसा किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अर्पालाण्ट के ससुर श्री भगाराम पुत्र श्री जसाराम का स्वर्गवास दिनांक 10.06.2007 को हो जाने के बाद उनके विधिक वारिसान द्वारा जैर अपील कृषि भूमि का हकर्तक नामा दिनांक 17.04.2017 को अपीलाण्ट के पक्ष में कर दिया था उक्त जैर अपील कृषि भुमि के एक मात्र मालिक व स्वामी अपीलाण्ट व उनके पुत्र रितेश शर्मा एवं राकेश शर्मा है। तत्कालिन पटवारी हल्का द्वारा सहवन से अपीलाण्ट सुनिता पत्नी स्व. रामगोपाल के स्थान पर सुनिता s/o रामगोपाल कर दिया, जबकि जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 3451 की पुश्त पर भगाराम की वंशावली सही दर्ज की गई है जिसमें अपीलाण्ट को रामगोपाल की पत्नी के रूप में दर्शाया गया है, जो सही है। लेकिन नामान्तरकरण भरते समय कॉलम संख्या 09 में सुनिता s/o रामगोपाल गलत दर्ज कर दिया गया और राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में भी सुनिता D/o रामगोपाल दर्ज कर दिया गया है, जबकि वास्तविक स्थिति में सुनिता रामगोपाल की पत्नी है ऐसी स्थिति मे ग्राम सोजत चक द्वितीय के नामान्तरकरण संख्या 3451 दिनांक 23.05.2017 में सुनिता s/o रामगोपाल के स्थान पर सुनिता पत्नी रामगोपाल दर्ज करना कानुनन आवश्यक एंव न्याय संगत है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर अपील ग्राम सोजत चक द्वितीय नामान्तरकरण संख्या 3451 दिनांक 23.05.2017 को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत स्वीकार की जाती है तथा ग्राम सोजत चक द्वितीय के नामान्तरकरण संख्या 3451 व आदेश दिनांक 23.05.2017 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार सोजत को निर्देश दिये जाते है कि वे भगाराम पुत्र जसाराम के विधिक वारिसान द्वारा ग्राम सोजत चक द्वितीय के खसरा संख्या 605 रकबा 1.6800 हैक्टर कृषि भूमि का हकतर्क–नामा दिनांक 13.04.2017 जो की अपीलाण्ट के पक्ष में तहरीर एवं तकमील कर पंजीयन किया गया है उसके अनुसार अपीलाण्ट के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27.01.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली